

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, आनन्दनगर (महराजगंज), भगवन्त नगर (उन्नाव), नगराम (लखनऊ),
चौक (महराजगंज), शमसाबाद (फर्रुखाबाद)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 13 नवंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम
किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, आनन्दनगर (महराजगंज), भगवन्त नगर (उन्नाव), नगराम (लखनऊ), चौक (महराजगंज), शमसाबाद (फर्रुखाबाद) में स्थित तालाबों/पोखरों के सौन्दर्यीकरण कार्यों हेतु संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग हो जाने के उपरान्त रू० 81.94 लाख (रू० इक्कासी लाख चौरानवे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3357/नौ-5-2025-65सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्रुशगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
 11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
 13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
 14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 81,94,000 (रुपये इक्यासी लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
15.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव

संख्या-380/2025/6264/नौ-5-2025/004-Comp. No.1780563, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2-महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3-संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 4-संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
- 8-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
15.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव

संख्या-380/2025/6264/नौ-5-2025/004-Comp. No.1780563 दिनांक 13 नवम्बर, 2025
(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निविदा की धनराशि	प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किशत के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पंचायत, आनन्दनगर, जनपद-महराजगंज	वार्ड नं० 16 लक्ष्मीबाईनगर में बनकटी में स्थित पोखरा का सौन्दर्यीकरण कार्य	291/2024/887/नौ-5-2024/001-Com No-1780563-NJPTSY दिनांक 08.02.2024	35.00	34.91	17.00	17.91
2	नगर पंचायत, भगवन्त नगर, जनपद-उन्नाव	फूलमती मंदिर तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	318/2024/1216/नौ-5-2024/003-Com No-1780563-NJPTSY दिनांक 24.02.2024	29.95	29.94	15.00	14.94
3	नगर पंचायत, नगराम, जनपद-लखनऊ	वार्ड दक्षिण टोला में दैताला तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	291/2024/887/नौ-5-2024/001-Com No-1780563-NJPTSY दिनांक 08.02.2024	29.99	29.98	15.00	14.98
4	नगर पंचायत, चौक, जनपद-महराजगंज	वार्ड नं० 3 सरदार पटेलनगर में गाटा सं० 48ए पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य	291/2024/887/नौ-5-2024/001-Com No-1780563-NJPTSY दिनांक 08.02.2024	30.00	29.98	15.00	14.98
5	नगर पंचायत, शमसाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद	वार्ड नं० 8 गाँधीनगर मोहल्ला पलिया में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	291/2024/887/नौ-5-2024/001-Com No-1780563-NJPTSY दिनांक 08.02.2024	39.53	39.13	20.00	19.13
योग:-				164.47	163.94	82.00	81.94

रू० 81.94 लाख (रू० इक्कासी लाख चौरानवे हजार मात्र)


 13-11-2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-13/11/2025

प्रेषण संख्या:- 380
आवंटन आदेश संख्या:- 001-380-2025-6264-9-5-2025-004-CN-1780563
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फरुखाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1913000 5865000	1913000 5865000
2	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1498000 1498000	1498000 1498000
3	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1494000 3999000	1494000 3999000
4	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3289000 3289000	3289000 3289000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8194000 14651000	8194000 14651000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्यासी लाख चौरानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ छियालीस लाख इक्यावन हजार


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव